(147)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक एक / निगरानी / शिवपुरी / भूरा / 2017 / 2370 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 13—07—2017 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 80 / अपील / 2016—17.

.....

1—श्रीमती ऊषा पत्नी मोहन सिंह गुर्जर
2—श्रीमती धनवन्ती पत्नी वालकृष्ण
निवासीगण ग्राम धवारा तहसील करैरा
जिला शिवपुरी म0 प्र0

———आवेदकगण

विरूद्ध

1—प्रभवसिंह उर्फ प्रभूसिंह पुत्र विश्वनाथ गुर्जर
2—श्रीमती बैकुन्डी पत्नी कमल सिंह
निवासीगण ग्राम धवारा तहसील करैरा
जिला शिवपुरी म0 प्र0
3—म0 प्र0 शासन

———अनावेदकगण

.....

श्री एस0 पी0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक क0 1, 2
शासन के पैनल अभिभाषक अनावेदक कमांक—3

.....

आदेश
(आज दिनांक 31/08/2018 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी पारित आदेश दिनांक 13—07—2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण कमांक–1 व 2 द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम धवारा तहसील करैरा जिला शिवपुरी में भूमि सर्वे कमांक 261, 36/3 कमशः रकबा 0.57 है0 रकबा 1.40 है0 किता दो कुल रकबा 1.97 है0 का व्यवस्थापन करने हेतु तहसीलदार करैरा को प्रस्तुत किया। तहसीलदार करैरा द्वारा प्रकरण कमांक 31/अ–19/2005–06 पर दर्ज कर दिनांक 6.5.06 को आदेश पारित कर अनावेदकगण के हित में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज करने के आदेश पारित किये गये, जिसकी शिकायत आवेदकगण द्वारा तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। तहसीलदार करैरा द्वारा आवेदकगण के शिकायती आवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी को प्रकरण में पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 11.7.2007 द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई। तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त होते ही दिनांक 30.8.07 को आदेश पारित कर पूर्व तहसीलदार करैरा का आदेश दिनांक 6.5.06 निरस्त कर अनावेदकगण की ग्राम धवारा तहसील करैरा जिला शिवपुरी में भूमि सर्वे कमांक 261, 36/3 कमशः रकबा 0.57 है0 रकबा 1.40 है0 किता दो कुल रकबा 1.97 है0 भूमि म0 प्र0 शासन दर्ज करने का आदेश दिया। इससे दुखित होकर अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी करैरा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 80/2016–17/अपील पर दर्ज कर दिनांक 13.7.17 को आदेश पारित कर दिनांक तहसीलदार का आदेश दिनांक 30.08.07 निरस्त करते हुये दिनांक 6.5.06 पुनः प्रभावशील बनाये जाने का आदेश दिया गया, इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान एवं क्षेत्राधिकार वाह्य तथा प्रकरण पत्रावली के विपरीत पारित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि अनावेदकगण को व्यवस्थापन की पात्रता न होने पर तहसीलदार करैरा द्वारा ग्राम धवारा तहसील करैरा जिला शिवपुरी में भूमि सर्वे कमांक 261, 36/3 कमशः रकबा 0.57 है0 रकबा 1.40 है0 किता दो कुल रकबा 1.97

हैक्टेयर भूमि व्यवस्थापन अनुचित रूप से प्रदान किया गया है जिसे अनुविभागीय अधिकारी सेपुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान करने के पश्चात निरस्त किया गया था लेकिन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उसे पुनः अनावेदकगण के हित में करने का आदेश पारित किया गया है जो अनुचित है तथा उनका आदेश दिनांक 13.7.17 निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी तो आवेदकगण को उसमें पक्षकार नहीं बनाया गया मात्र म0 प्र0 शासन को पक्षकार बनाकर आदेश पारित किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि आवेदकगण भूमिहीन, हरिजन, आदिवासी कृषि मजदूर व्यक्ति नहीं है वह पिछड़े वर्ग अर्थात गुर्जर समाज के व्यक्ति हैं जो उनको पटटे की पात्रता नहीं है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी करैरा का आदेश निरस्त कर आवेदकगण की निगरानी निरस्त करने की प्रार्थना की गई है।

4–अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अनावेदकगण कमांक–1, 2 को जो व्यवथापन प्रदाय किया गया है वह जाचं करने के उपरांत ही प्रदाय किया गया था, लेकिन तहसीलदार करैरा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी से पुनर्विलोकन की अनुमति लेकर उसे निरस्त करने में कानूनी भूल की है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश दिनांक 30.08.07 निरस्त करते हुये पुनः अनावेदकंगण के हित में आदेश पारित किया गया है। अंत में उनके द्वारा कहा गया है कि आवेदकगण की निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जावे।

5–शासन के पैनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अनावेदकगण को जो व्यवस्थापन किया गया है उसमें जांच सही तरीके से नहीं की गई है क्यों कि तहसीलदार द्वारा पहार सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह गुर्जर को नोटिस दिया गया है उसके पीठ पर उसके कथन लिये गये हैं उसमें स्पष्ट लेख किया गया है कि उसके द्वारा तहसीलदार के न्यायालय में कोई आवेदन नहीं दिया गया है, और ख्याली पटवारी को पैसा दे दिया था। इसलिये तहसीलदार द्वारा व्यवस्थापन में जो कार्यवाही की गई है वह उचित प्रतीत नहीं होती है।

6—उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अनावेदकगण कमांक—1 व 2 द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम धवारा तहसील करैरा जिला शिवपुरी में भूमि सर्वे कमांक 261, 36/3 कमशः रकबा 0.57 है0 रकबा 1.40 है0 किता दो कुल रकबा 1.97 है0 का व्यवस्थापन करने हेतु तहसीलदार करैरा को प्रस्तुत किया। तहसीलदार करैरा द्वारा प्रकरण कमांक 31/अ—19/2005—06 पर दर्ज कर दिनांक 6.5.06 को आदेश पारित कर अनावेदकगण के हित में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज करने के आदेश पारित किये गये। प्रकरण के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि पूर्व तहसीलदार द्वारा यह प्रकिया इतनी शीघ्र की गई है कि इस्तहार जो प्रकरण कमांक 31/2005—06/अ—19 में संलग्न पृष्ठ कमांक 19 पर दिनांक 5.4.2006 को जारी किया गया है, उसमें तहसीलदार के हस्ताक्षर ही नहीं है। तहसीलदार करैरा के भृत्य द्वारा दिनांक 5.4.06 को तहसील के बोर्ड पर इस्तहार की प्रति चस्पा की गई, दिनांक 15.4.06 को ग्राम की चौपाल पर एवं एक प्रति ग्राम पंचायत भवन पर चस्पा की गई, इश्तहार की प्रति तहसील के भृत्यु द्वारा दिनांक 25.4.06 को उसी दिन तहसील में प्रस्तुत की जिस दिन पेशी नियत थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 15.4.06 को इश्तहार की प्रति चस्पा ग्राम पचांयत भवन एवं चौपाल पर चस्पा की गई थी तो 10 दिन इस्तहार की प्रति भृत्य अपने पास क्यों रखे रहा?, कार्यालय की इस्तहार प्रति के पीठ पर जो सील भृत्य की अंकित है उसमें दिनांक 25.4.06 भृत्य द्वारा तारीख अंकित की गई है। तहसीलदार के प्रकरण कमांक 31/2005—06/अ—19 में संलग्न पृष्ठ कमांक 20, 21 पर नोटिस का जबाव के पीठ पर कथन पहार सिंह के अंकित है उसमें उसके द्वारा तहसीलदार के न्यायालय में कोई आवेदन नहीं दिया गया है, और ख्याली पटवारी को पैसा दे दिया था। पटवारी द्वारा पटटा दिया गया था। उसमें यह भी अंकित है कि वह तहसील न्यायालय में कभी नहीं गया। इससे यह तो प्रतीत होता है कि तत्कालीन तहसीलदार करैरा द्वारा की गई कार्यवाही अवैधानिक प्रतीत होती है, और इसी लिये तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी करैरा से पुनर्विलोकन की अनुमति लेकर अनावेदकगण के हित में की गई व्यवस्थापन/पटटा की कार्यवाही दूषित होने से निरस्त

की गई थी, लेकिन अनुविभागीय अधिकारी करैरा द्वारा इस और ध्यान नहीं दिया गया कि इस्तहार की प्रति पर तहसीलदार के हस्ताक्षर ही नहीं है, और दिनांक 25.4.06 को भृत्य द्वारा इस्तहार की प्रति प्रस्तुत की गई जबकि चस्पा की कार्यवाही 10 दिन पूर्व ही कर ली गई थी, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस ओर भी ध्यान नहीं दिया गया था कि पहार सिंह द्वारा अपने कथनों में लेख किया है कि वह तहसीलदार कार्यालय में नहीं गया और न ही उसके द्वारा पटटा के लिये कोई आवेदन दिया गया है इससे स्पष्ट कि अनुविभागीय अधिकारी करैरा द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.07.17 द्वारा तहसीलदार करैरा का आदेश दिनांक 6.5.06 पुनः प्रभावशील बनाये जाने का आदेश दिया गया है वह त्रुटिपूर्ण आदेश है। अतः अनुविभागीय अधिकारी करैरा का आदेश दिनांक 13.07.2017 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 80/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी का प्रकरण कमांक 31/अ–19/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 30.08.07 द्वारा ग्राम धवारा तहसील करैरा जिला शिवपुरी में स्थित भूमि सर्वे कमांक 261, 36/3 कमशः रकबा 0.57 है0 रकबा 1.40 है0 किता दो कुल रकबा 1.97 है0 जो म0 प्र0 शासन पूर्ववत दर्ज करने का आदेश दिया गया है वह स्थिर रखा जाता है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर